राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207 एवं 2208/2014............जिला–जयपुर..........................

उनवान–मै. करनकावट टार्पो, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचंन, जोन–तृतीय, जयपुर व अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर,जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.01.2015	**खण्डपीठ** **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** **श्री मदन लाल,सदस्य**	

अपीलार्थी के ओर से श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक व एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक श्री राम करण सिंह उपस्थित।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ये सात अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी–प्रथम,वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक–पृथक स्थगन आदेश दिनांक 05.11.2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। उक्त आदेशों में अपीलीय अधिकारी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचंन, संभाग–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा गया है) द्वारा पारित पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.05.2014, जो अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 55 के तहत् निर्धारण वर्ष 2008–09, 2009–10, 2009–10,2010–11, 2010–11, 2011–12 एवं 2011–12 के लिये पारित किये गये हैं, में कायम मांग राशि के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत रोक आवदेन पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान निम्न तालिका में अंकित राशियों पर रोक लगाये जाने की प्रार्थना की गई :–

अ. सं.	अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगित की गई राशि	स्थगन हेतु आवेदित राशि
2202/14	29,71,930/–	16,15,180/–	13,56,750/–
2203/14	67,39,315/–	37,44,064/–	29,95,251/–
2204/14	9,45,104/–	5,25,058/–	4,20,046/–
2205/14	62,83,782/–	36,17,116/–	26,76,646/–
2206/14	13,26,134/–	7,62,146/–	5,63,988/–
2207/14	51,22,313/–	30,48,996/–	20,73,317/–
2208/14	14,57,040/–	8,67,286/–	5,89,754/–

स्थगन प्रार्थना पत्रों के समर्थन में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान